कार्यालय : जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालोद (छ.ग.)

|| आदेश ||

कमांक 26/तीन–3–1/2013 **बालोद, दिनांक 16/01/2024**

कार्यालय आदेश क्र. 185/तीन–3–2/2013 बालोद, दिनांक 27.07.2023 के माध्यम से इस स्थापना हेतु नियुक्त आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों (वाटरमैन/चौकीदार/स्वीपर) की नियुक्ति हेतु जारी आदेश में कार्यभार ग्रहण की अंतिम तिथि 11.08.2023 तक कार्यभार ग्रहण नहीं करने तथा श्री हुमन लाल साहू, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले वाटरमैन के द्वारा त्यागपत्र दिये जाने के फलस्वरूप अनारक्षित मुक्त वर्ग के आकस्मिकता निधि के 02 रिक्त पद पर प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों की सूची में से वर्गवार एवं वरीयता अनुसार जिला न्यायालय, स्थापना बालोद के लिए आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी चौकीदार एवं वाटरमैन के रिक्त पदों पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर निम्नांकित शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है :–

क.	नाम	पिता/पति का नाम	पद का नाम	नियुक्ति का वर्ग	अभ्यर्थी का वर्ग	पता
1	श्री भूपेश कुमार	श्री रोशन लाल	चौकीदार	अनारक्षित (मुक्त)	अपिव	वार्ड नं. 08 ठाकुरदाई वार्ड, गुरूर, तह. गुरूर, जिला–बालोद (छ.ग.)
2	श्री तुलेश्वर देवांगन	श्री पंचराम देवांगन	वॉटरमैन	अनारक्षित (मुक्त)	अपिव	ग्राम व पोस्ट बघमरा, तह. व जिला–बालोद (छ.ग.)

<u>उपरोक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन की जाती है:–</u>

(1) चरित्र सत्यापन में प्रतिकूल प्रतिवेदन पाये जाने पर तत्काल सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

(2) आज्ञाकारिता के उत्कृष्ट मापदंड के अनुसार कार्य करेंगे और उन्हें समय–समय पर जो भी कार्य सौंपा जायेगा उसे सहर्ष पूरा करेंगे।

(3) किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर अथवा उनका कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के उनकी सेवाएं कभी भी समाप्त की जा सकेगी।

(4) नियुक्त कर्मचारी चौकीदार व वाटरमैन को **<u>दिनांक 30.01.2024</u>** तक अनिवार्य रूप से जिला न्यायालय, बालोद के कार्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा। नियत अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं किये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

(5) उक्त नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में प्रस्तुत एस.एल.पी. (सी.) कमांक 19668/2022 एवं माननीय छ0ग0 उच्च न्यायालय बिलासपुर के WPC No. 591/2012, 592/2012, 593/2012, 594/2012, में पारित किये जाने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यधीन होगा।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बालोद (छ.ग.)

पृष्ठां. कमांक 172....../तीन–3–1/2013 बालोद, दिनांक 16/01/2024

प्रतिलिपि :–

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल, छ.ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, बालोद.
3. जिला कोषालय अधिकारी, बालोद.
4. लेखापाल/देयक लिपिक, कार्या. जिला एवं सत्र न्यायालय, बालोद.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

5. श्री भूपेश कुमार पिता श्री रोशन लाल, वार्ड नं. 08 ठाकुरदाई वार्ड, गुरूर, तह. गुरूर, जिला–बालोद (छ.ग.)/श्री तुलेश्वर देवांगन पिता श्री पंचराम देवांगन, ग्राम व पोस्ट बघमरा, तहसील व जिला–बालोद (छ.ग.) की ओर इस निर्देश के साथ सूचनार्थ प्रेषित कि वे अपने चयनित पद का **दिनांक 30.01.2024 तक** आवश्यक रूप से समस्त वांछित प्रमाण–पत्रों व दस्तावेजों सहित कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करावें।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बालोद (छ.ग.)